

अण्डमान तथा
Andaman And



निकोबार राजपत्र
Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 235, पोर्ट ब्लेयर, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2011
No. 235, Port Blair, Monday, October 17, 2011

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय
अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

सं. 225/2011/फा.सं. 10-29/आ.सा.नि./सा.बिल-2007.— सांख्यिकीय संग्रहण नियम 2011 की धारा 2(च) के साथ पठित तथा उसी की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय के सांख्यिकीय अधिकारी (मुख्यालय) को तत्काल प्रभाव से पूर्वोक्त नियमों के तहत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नोडल अधिकारी नामोद्दिष्ट करते हैं।

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./—
(गौरंग मिश्रा)
निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी

Andaman and Nicobar Administration
Directorate of Economics & Statistics

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 17th October, 2011

No. 225/2011/F.No. 10-29/DES/Stat.Bill-2007.— In exercise of the powers conferred under Sub-Rule (2) of Rule 3 of the Collection of Statistics Rules, 2011, read with Section 2(f) thereof, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands designate the Statistical Officer (HQ) of Directorate of Economics and Statistics of Andaman and Nicobar Administration as Nodal Officer for exercising powers and performing the duties under the aforesaid rules with immediate effect for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor (Administrator)
Andaman and Nicobar Islands

Sd./—
(Gaurang Mishra)
Director of Economics and Statistics